न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 16/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा ए
स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामाबाबू शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 55 वर्ष मालिक एवं
विक्रेता सुरेश मिष्ठान भण्डार छोटा बाजार बयाना जिला भरतपुर निवासी जैन
गली बयाना जिला भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 10.09.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 20.08.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 10.09.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 19.10.2019 को दोपहर 12.30 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में 6 किग्रा0 कलाकन्द का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा. कलाकन्द 500/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–783/एक्ट/2019/761 दिनांक 06.12.2019 द्वारा उक्त कलाकन्द का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का कलाकन्द आम जनता को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से कलाकन्द का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 19.10.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित कलाकन्द का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा कलाकन्द का दुकान पर निर्माण करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 06 किग्रा0 कलाकन्द ही वक्त जांच संग्रहित पाये गये है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 06 किग्रा. कलाकन्द ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाये गये है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 2 किग्रा. कलाकन्द 500/– रूपये में क्रय किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 06 किग्रा. कलाकन्द की कीमत मात्र

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

1500/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 10.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर